



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062026-273730
CG-DL-E-23062026-273730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3206]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3206]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3339(अ).— जन विश्वास (उपबंधो का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 22 जून, 2026 को उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का संबंध है, जो कयर उद्योग अधिनियम 1953 से संबंधित हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. 2(10)/2024-कयर (4027062)]

रणधीर कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3339(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 22nd day of June, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 18 and the entries thereto in the Schedule to the said Act relating to the Coir Industry Act 1953, shall come into force.

[F. No. 2(10)/2024-Coir (4027062)]

RANDHIR KUMAR, Under Secy.